



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-177/2021
दिनांक : 03.09.2021

सूचना

सूचना क्रमांक 003/2003/का.आ./02-168/2021 दिनांक 23.08.2021 के निरंतरता में आज शुक्रवार दिनांक 03.09.2021 को भी पूर्वाह्न 10.00 से 12.00 और अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक विश्वविद्यालय के अस्पताल में कोरोना रोधी (कोविशील्ड) टीकाकरण जारी रहेगा।

विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर टीकाकरण करवा सकते हैं। टीकाकरण का पंजीकरण पूर्वाह्न 09.30 से तथा अपराह्न 2.30 बजे से शुरू होगा।

कादर खान
(कुलसचिव) 03/09/21

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मी और
समस्त छात्रावास अधीक्षकों को सूचना छात्रावास के सूचना पट्ट पर
लगाने एवं सभी को सूचित करने के अनुरोध के साथ

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. कुलानुशासक
4. डॉ. मिनल भलमे और डॉ. हेमंत धामट
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली